(636)

राजस्थान सरकार
नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग

क्रमांक :– प.18(1)नविवि/3/04

दिनांक 15.04.2010

परिपत्र

राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम, 1970 (1970 का अधिनियम संख्या–4) की धारा–37, सपठित धारा 60, राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनिम सं–18) की धारा–337 तथा सपठित धारा–198–199, जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम संख्या–25) की धारा–19, सपठित धारा–90, जोधुपर विकास प्राधिकरण, 2009 (2009 का अधिनियम संख्या–02) की धारा–85, राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम संख्या 35) की धारा–91–बी सपठित नगर सुधार न्यास (नगरीय भूमि निष्पादन) नियम, 1974 के नियम–6ए के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित निर्देश प्रदान किए जाते है :–

1. **राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों द्वारा आवंटन एवं नीलामी द्वारा विक्रय किये गये भूमि/भवन से प्राप्त विक्रय राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा राशि संबंधित निगम/परिषद/पालिका को निम्नानुसार हस्तांतरित की जायेगी :–**
   (1) राजस्थान आवासन मण्डल/विकास प्राधिकरणों/नगर सुधार न्यासों द्वारा आवंटन एवं नीलामी द्वारा प्रत्येक तिमाही में विक्रय किये गये भूमि/भवन से प्राप्त विक्रय राशि का 15 प्रतिशत हिस्सा राशि संबंधित निगम/परिषद/पालिका को हस्तांतरित की जावे।
   (2) यदि उक्त देय राशि जमा कराने में विलम्ब होता है तो 6 माह पश्चात् उक्त हिस्सा राशि पर 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर (Simple rate of intrest) से स्थनीय निकाय को जमा करना होगा।
   (3) बिना स्थानीय निकाय की सहमति या राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति के भविष्य में कराये जाने वाले विकास कार्यो या अन्य किसी कार्य का किसी भी प्रकार का समायोजन नहीं किया जायेगा।
   (4) जिस नगर पालिका की सीमा की बिक्री होगी उसी नगर पालिका को 15 प्रतिशत के हिसाब से संबंधित निकाय को रकम देय होगी।
2. **स्थानान्तरण की जाने वाली विकसित कॉलोनियों बाबत् :–**
   (1) राजस्थान आवासन मण्डल/प्राधिकरण/न्यासों द्वारा विकसित योजनाओं को निगम/परिषद/पालिका को हस्तांतरित किये जाने पर योजना में अवस्थित विक्रय योग्य समस्त सम्पत्ति भी हस्तांतरित की जायेगी तथा हस्तांतरित के पश्चात् उक्त सम्पत्ति के विक्रय से प्राप्त शत प्रतिशत आय निगम/परिषद/पालिका की होगी।
   (2) स्थानान्तरित करते वक्त कॉलोनी के रख–रखाव हेतु संबंधित संस्था द्वारा निकाय को आपसी सहमति के आधार पर एकमुश्त राशि देय होगी जिससे कम से कम आगामी दो वर्षो के रख-रखाव मे कोई समस्या नहीं आवे।

(3) स्थानान्तरित की जाने वाली कॉलोनियों की समस्त पत्रावली भी संबंधित निकाय को स्थानान्तरित की जावेगी।

(4) जब तक कॉलोनी का स्थानान्तरण नहीं हो जाता उसके रख–रखाव, सफाई, कचरा प्रबंधन आदि की समस्त जिम्मेदारी संबंधित संस्था यथा राजस्थान आवासन मण्डल/प्राधिकरणों/न्यासों की होगी।

3. **पूर्व प्रकरणों का निस्तारण –**

(1) किसी भी प्रकार के विवाद का निर्णय राज्य सरकार द्वारा अन्तिम रूप से किया जा सकेगा।

(2) पूर्व में स्थानान्तरित की गई कॉलोनियों की पत्रावलियाँ भी संबंधित निकयो को 30 जून, 2010 तक स्थानान्तरित की जावे।

उपरोक्त आदेश दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से लागू माने जायेंगे।

ह0
प्रमुख शासन सचिव